राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2017/19577 जयपुर, दिनांकः 25/5/17

आदेश

विषयः– मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत आयोजित शिविर अवधि में गठित एम्पावर्ड समिति के संबंध में।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 2(30)नविवि/3/2016 दि0 11.05.17 के बिन्दु संख्या 8 के क्रम संख्या 2 व 3 में निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

01. नगर निगम हेतु गठित एम्पावर्ड समिति के अध्यक्ष महापौर होंगे तथा महापौर की अनुपस्थिति में संबंधित जोन उपायुक्त एम्पावर्ड समिति की अध्यक्षता करेंगे।
02. नगर परिषद/पालिका हेतु गठित एम्पावर्ड समिति की अध्यक्षता उपखण्ड अधिकारी की अनुपस्थिति में सभापति/अध्यक्ष द्वारा की जावेगी तथा सभापति/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी द्वारा एम्पावर्ड समिति की अध्यक्षता की जावेगी तथा अध्यक्ष की हैसियत से लिये गये निर्णयो पर उपखण्ड अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/2017/19578-20028 दिनांकः 25/5/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त।
6. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक राजस्थान, अजमेर।
7. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
9. उपखण्ड अधिकारी, समस्त राजस्थान।
10. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, राजस्थान।
11. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय, राज0 जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D:\QAYAM15.Order.doc